

प्रेषक,

दीप कान्त मणि,
अपर प्रधान न्यायाधीश,
परिवार न्यायालय सं02,
मुजफ्फरनगर।

सेवामें,

महानिबन्धक,
माननीय उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

द्वारा—

प्रधान न्यायाधीश,
परिवार न्यायालय,
मुजफ्फरनगर।

विषय—

विधि विरुद्ध तरीके से रोके गये मासिक वेतन का भुगतान कराने के संबंध में।

महोदय,

दिनप्र विरुद्ध तरीके से रोके गये मासिक वेतन का भुगतान कराने के संबंध में।

1. यह कि माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के स्थानान्तरण आदेश दिनांकित 23.5.

2021 के अनुपालन में मेरे द्वारा दिनांक 01.6.2021 को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, एफ.टी.सी-2, मुजफ्फरनगर का कार्य भार छोड़कर दिनांक 01.6.2021 को ही प्रतिनियुक्ति पर अपर प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय सं02, मुजफ्फरनगर का कार्य भार ग्रहण किया गया है।

2. यह कि जनपद न्यायाधीश, मुजफ्फरनगर स्थापना में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, एफ.टी.सी-2, मुजफ्फरनगर के पद पर मेरे माह मई 2021 के कार्य अवधि के वेतन का वेतन प्रपत्र नियम 97 उ0प्र0 वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-5 के तहत देय माह मई के अंतिम कार्य दिवस तक मुझसे हस्ताक्षरित कराकर भुगतान नहीं कराया गया, अपितु जानबूझकर उक्त प्राविधान का उल्लंघन करके मेरे माह मई 2021 के वेतन को बिना अधिकार रोक करके अन्य न्यायिक अधिकारीगण को माह मई के वेतन का भुगतान 01 जून को कर दिया गया। परिणाम स्वरूप मुझे माह मई के वेतन का भुगतान प्राप्त किये बगैर ही दिनांक 01.6.2021 को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, एफ.टी.सी-2, मुजफ्फरनगर का कार्य भार छोड़ना पड़ा। इस संबंध में मेरे द्वारा पूर्व में दिनांक 24.6.2021 को माननीय महोदय को प्रार्थना पत्र प्रेषित किया गया है।

3. यह कि मेरे द्वारा जनपद न्यायाधीश, मुजफ्फरनगर स्थापना अंतर्गत अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, एफ.टी.सी-2, मुजफ्फरनगर के पद से कार्य मुक्त होकर प्रतिनियुक्ति पर अपर प्रधान न्यायाधीश, मुजफ्फरनगर का कार्य भार दिनांक 01.6.2021 को ग्रहण कर लेने के उपरात लेखा अनुभाग, जनपद न्यायालय, मुजफ्फरनगर को मेरे वेतन संबंधी डेटा आदि को प्रधान न्यायाधीश स्थापना में स्थानान्तरित कर देना था, परतु आज तक वेतन संबंधी डेटा आदि के स्थानान्तरण की प्रक्रिया पूर्ण नहीं की/करायी गयी है, न हीं वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-5 में वर्णित प्राविधान के अनुसार अंतिम वेतन प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है।

4. यह कि उ0प्र0 वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-5 के नियम 141(2) के अनुसार मेरे माह मई के बकाया वेतन तथा अंतर्गत नियम 97 उ0प्र0 वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-5 के प्राविधान के अनुसार माह जून के देय वेतन का भुगतान श्रीमान प्रधान न्यायाधीश, मुजफ्फरनगर के माध्यम से आज तक नहीं हुआ है। इस संबंध में मेरे द्वारा दिनांक 01.7.2021 को श्रीमान प्रधान न्यायाधीश, मुजफ्फरनगर को प्रार्थना पत्र भी दिया गया है।

माह मई के 2 दिवस के आकस्मिक अवकाश प्रार्थना पत्र के माननीय उच्च न्यायालय में लम्बित होने के आधार पर मेरे माह मई व जून के वेतन का भुगतान रोका जाना बताया जा रहा

है, जबकि वित्तीय हस्त पुस्तिका भाग-2 के अध्याय 20 के सहायक नियम 201 के अनुसार आकस्मिक अवकाश के आधार पर वेतन का भुगतान नहीं रोका जा सकता है।

5. यह कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 व अनुच्छेद 300ए में वर्णित प्राविधान का उल्लंघन करके मेरे वेतन पाने के अधिकारों के हनन करने से मुझे आर्थिक कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे मुझे अत्यधिक मानसिक पीड़ा है।

6. यह कि उ0प्र0 वित्तीय हस्त पुस्तिका में सरकारी कर्मचारी को वेतन भुगतान के लिए वर्णित प्राविधान एवं माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित विधिक निर्णय आन्ध्र प्रदेश राज्य व अन्य बनाम श्रीमती दीनावाही लक्ष्मी लामेश्वरी सिविल अपील नं0 389/2021 में माननीय न्यायालय द्वारा अवधारित मत के अनुसार मुझे बकाया सहित रोके गये दैय वेतन का भुगतान कराया जाना आवश्यक है।

अतः माननीय महोदय से विनम्र निवेदन है कि विधि विरुद्ध तरीके से रोके गये मासिक वेतन के संबंध में यथोचित कार्यवाही करने के लिए मेरा प्रत्यावेदन सम्यक एवं सद्भावना पूर्वक विचार हेतु माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने की महति कृपा की जाय।

सादृश ।

भवदीय

अपर प्रधान न्यायाधीश,
परिवार न्यायालय सं02,
मुजफ्फरनगर।